

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (50)पीएस/निकाशि/2012/484

दिनांक ..... 5/12/2012


कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम-2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 14.07.2011 एवं 11.08.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्ति निम्नांकित कर्मचारी जिन्होंने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्ति किये जाने की वांछा की है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्ति किये जाने संबंधी अनुशंषा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित ( R.V.R.E.S ) पद पर विद्यमान वेतनमान पर पदस्थापित किया जाता है:-

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवाषिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञार्थ किया जायेगा। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।
2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979, राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1999 के अधिधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 5(ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।
3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवाषिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होंगे।
4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार नियम किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।
5. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मददे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयन वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम में बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगे।
7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

8. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नहीं की जायेगी। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षित संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्तें 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी।
10. इन्हें अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधित जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य सरकार से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
13. इन्हें दिनांक 10.12.2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

क्र. स.	प्रस्ताव संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पिता /पति का नाम	पद	जन्म तिथि	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय
1.	472	श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री रामदयाल	च.श्रे. कर्म.	18.01.64	एस.जी.एन. खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा


  
 निदेशक  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
 जयपुर

क्रमांक एफ1 (50)पीएस/निकाशि/2012/ 484 दिनांक 5/12/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, (स्थापना/अनुदान/कार्मिक/अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5 शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर/केलवाडा।
13. संबंधित कर्मचारी- श्री कृष्णगोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
14. संस्थापन/कम्प्यूटर/गोपनीय/कार्मिक शाखा/नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
15. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर